

8/8

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

Om

Handwritten text in Hindi, likely a petition or complaint, starting with "श्रीमान् राजस्व अधिकारी" and mentioning "राजस्व लोक अदालत".

अपण्डित अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क
राजस्व (बी.एस.एस.)

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम, 1968 के तहत शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में प्रस्तुत किया गया, जिराके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है -

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम, 1968 के तहत शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में प्रस्तुत किया गया, जिराके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है -

प्राथी/प्राथीगण का नाम: श्री. अशोक कुमार

प्राथी/प्राथीगण का पता: श्री. अशोक कुमार, 132/2, शाहपुरा, भीलवाड़ा जिला

विपक्षी/विपक्षीगण का नाम: श्री. अशोक कुमार

विपक्षी/विपक्षीगण का पता: श्री. अशोक कुमार, 132/2, शाहपुरा, भीलवाड़ा जिला

प्राथी/प्राथीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिराके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है -

प्राथी/प्राथीगण के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 132/2

कुल किता 1 रकबा 0.00 हैक्टयर का खातेदार/संयुक्त खातेदार कार्तकार है। बादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्राथी/प्राथीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाधिन्ध नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्राथी/प्राथीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जगावन्दी ग्राम शाहपुरा संवत् 1974 से 1974 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्राथी/प्राथीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्राथी/प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्राथी/प्राथीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 1 रकबा 0.00 हैक्टयर की पुरखता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्राथी/प्राथीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली के तहत श्रुमात होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



Cs. Anil Kumar
अपक्षी/अपक्षीगण
 सहायक कोषदार

प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा पास भेजकर लेख है कि श्री. अशोक कुमार पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

Cs. Anil Kumar
अपक्षी/अपक्षीगण
 सहायक कोषदार